हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी, शिमला के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2015 से 3/2016

भाग—एक

1 **प्रारम्भिकः—**

(क) अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्नलिखित अधिकारी अकादमी के सचिव एवं आहरण व वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत्त रहे।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री अशोक हंस	1.4.2015 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	7	उधार दी गई कैसटों तथा पुस्तकों की वसूली न करना	0.61
2	8	अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में से बिक्री हेतु बकाया पुस्तकों का शेष पाया जाना	16.68
3	9	पहाड़ी गीतों की कैसटों का बिक्री हेतु स्टॉक में शेष पाया जाना	1.97
4	10	कम्पयूटर सैंटर के किराए का अनुचित भुगतान करना	3.82

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

अकादमी के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे सम्मिलित अनिर्णीत अनुच्छेदों की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई तथा समीक्षा के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

भाग—दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः—**

हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी, शिमला के अवधि 1.4.2015 से 31. 3.2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री अशोक कुमार, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 3.3.2017 से 23.3.2016 के दौरान अकादमी के

कार्यालय में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु 6/2015 व 3/2016 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अकादमी के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता हैं।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी के अवधि 4/2015 से 3/2016 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹16000 आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 23.3.2017 द्वारा सचिव, हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी शिमला–171001 से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा प्रस्तुत अकादमी की अंकेक्षणाधीन 1.4.2015 से 31.3.2015 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "क–1"** तथा उनसे सम्बन्धित **उप–परिशिष्ट "1 से 10"** तक पर भी संलग्न है।

प्रारम्भिक शेष	7026302.90
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	18398322.00
योग	**25424624.90**
वर्ष के दौरान व्यय	14990382.00
अन्तशेष	**10434242.90**

दिनांक 31.3.2014 को अन्तिम शेष

1	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला छोटा शिमला, खाता संख्या 55069385925	9092525.16
2	यूको बैंक हिमलैंड शिमला खाता संख्या 1555010003791	1055566.00
3	हि0प्र0 राजकीय सहकारी बैंक सीमित छोटा शिमला, खाता संख्या 4350102910	183022.00

4	स्थाई निधि	5000.00
5	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (संस्कृति सदन हमीरपुर) खाता संख्या 55126075330 में जमा राशि	98129.74
	योग	**10434242.90**

5 संविधान की धाराओं की अनुपालना में कार्यकारी परिषद/सामान्य परिषद की वार्षिक बैठक का न करवाना जाना व अकादमी बजट का अनुमोदन न करवाया जाना:–

हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी के संविधान की धारा 18(B)(i) के अनुसार "The Excecutive Council hall ordinarily meet four times in a year." तथा 18(a)(i) के अनुसार "The Meeting of the General Council shall ordinarily be held once in a year" तथा धारा (12)(iv) के अनुसार "The General Council have to approve the annual budget of the Academy"। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अकादमी की अवधि 1.4.2015 से 31.12.2015 तक की आय व व्यय का अनुमोदन दिनांक 14.3.2016 को हुई सामान्य परिषद की 29वीं बैठक की कार्यवाही में करवा लिया गया था, परन्तु संविधान की धारा 18(a)(i) के अन्तर्गत सामान्य परिषद की बैठक में अकादमी का बजट पारित करवाया जाना अपेक्षित था। परन्तु अकादमी द्वारा वर्ष 2015–16 का बजट कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु संविधान के अनुसार गठित सामान्य परिषद की बैठक में अनुमोदन नहीं करवाया गया। इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों में बार–बार भी आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु अकादमी ने इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अतः यह मामला प्रदेश सरकार के उच्चधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 अकादमी द्वारा हिमाचल प्रदेश की कला, संस्कृति एवं भाषा की कार्य योजनाओं हेतु बनाए नियमों के अनुसार पत्रिकाओं को तय निर्धारित सीमा में प्रकाशित न करवाने बारे:–

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कला, साहित्य, संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन तथा प्रदेश की संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी

के गठन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 8–9/71–एल0डब्लयू0पी0/(लैंग्वेज) को दिनांक 14 अप्रैल, 1971 को जारी किया गया था तथा अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अकादमी की कार्यकारी परिषद द्वारा 28 मार्च, 2005 तथा 22 नवम्बर, 2006 की बैठकों में पारित अकादमी की योजनाओं के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक, सम्पदा और साहित्य को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से त्रैमासिक पत्रिका "सोमसी" पहाड़ी भाषा की उन्नति व विकास के उद्देश्य से अर्धवार्षिक पत्रिका "हिम भारती" तथा पहाड़ी एवं संस्कृति भाषा में लेखकों को प्रोत्साहित करने एवं संस्कृति भाषा की उन्नति और विकास के उद्देश्य से अर्धवार्षिक "श्यामला" (संस्कृत) के प्रकाशन का निर्णय लेते हुए इन पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ किया गया था। अकादमी द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट–"ख"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना व इससे सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि अकादमी द्वारा "सोमसी" पत्रिका का अक्तूबर–दिसम्बर, 2014 का अंक जनवरी–मार्च, 2015 के अंक के साथ अर्धवार्षिक के आधार पर प्रकाशित किया गया, जबकि नियमानुसार यह पत्रिका त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित की जानी थी, यद्यपि इस पत्रिका का प्रकाशन अर्धवार्षिक तौर पर करवाने बारे अनुमति सक्षम परिषद/अधिकारी से प्राप्त कर ली गई थी फिर भी अकादमी द्वारा जो मूल नियम इन पत्रिकाओं को प्रकाशित करने बारे बनाए गए थे, उनको ध्यान में नहीं रखा गया, जिससे इस पत्रिका का महत्व कम हो रहा है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस पत्रिका को प्रकाशित करने हेतु जो मूल नियम बनाए बए थे, उनके आधार पर ही इसको प्रकाशित करवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि पत्रिकाओं की महत्वता बनी रहे। उक्त के अतिरिक्त अकादमी द्वारा बनाए गए नियमों के चैप्टर–1 "पत्रिका प्रकाशन योजना नियम" के आधार पर समस्त पत्रिकाओं का प्रकाशन 300 से 500 प्रतियाँ तक करने का प्रावधान रखा गया था, जबकि अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 की अवधि के दौरान हिमभारती पत्रिका अंक जनवरी–जून, 2015 की 250 पत्रिका श्यामला पत्रिका अंक अवधि जनवरी–जून, 2015 की 200 प्रतियाँ और जुलाई–सितम्बर, 2015 की 200 प्रतियाँ तथा सोमसी पत्रिका का अंक अवधि अक्तूबर–मार्च, 2015 और अप्रैल–सितम्बर, 2015 का अंक 300 मुद्रित करवाई पत्रिकाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पत्रिकाओं को बेचने तथा अन्य को देने के उपरान्त भी ₹9625 की पत्रिकाएं बच गई थी और यदि प्रत्येक वर्ष इतनी अधिक मात्रा में पत्रिकाएं बच जाएं तो अकादमी को अनावश्यक ही नुकसान उठाना पड़ता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि इन पत्रिकाओं का प्रकाशन पूर्व वर्षों के विक्रय/खपत के आधार पर ही

करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि वर्ष के अन्त में अनावश्यक पत्रिकाएं शेष में न बचे।

7 उधार दी गई कैसटों तथा पुस्तकों की ₹60589 की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अकादमी द्वारा विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों/कार्यालयों को ₹16178 की कैसटों तथा ₹44411 की पुस्तकें उधार में सप्लाई की गई थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ग–1 व ग–2"** पर दिया गया है तथा इनकी वसूली हेतु कोई गम्भीर प्रयास नहीं किए गए प्रतीत होते है। उक्त परिशिष्टों में दी गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अकादमी द्वारा कई व्यक्तियों/फर्मों/कार्यालयों को यह कैसटें तथा पुस्तकें अवधि 4/2001, 4/2003, 12/2004, 1/2005, 9/2009, 4/2013, 9/2013, 8/2014 तथा 9/2014 के दौरान उधार दी गई थी तथा इनकी वसूली अभी नहीं की गई थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अकादमी उक्त राशि की वसूली हेतु गम्भीर नहीं है। अतः अकादमी द्वारा राशि की वसूली अभी तक न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए और उक्त ₹60589 की वसूली हेतु शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में से विक्रय हेतु ₹16.68 लाख की बकाया पुस्तकों का शेष पाया जानाः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम (भाग–1) की धारा 15.2 (1) के अनुसार किसी भी संस्था द्वारा उतनी ही सामग्री की खरीद करनी चाहिए जितनी अनिवार्य है, ताकि संस्था की आय से अनियमित व्यय न हो। इसके साथ धारा 15.19 के अनुसार स्टोर में तय सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि स्टोर में मांग से ज्यादा सामग्री को रखा जाता है और उसका उपयोग कई वर्षों से नहीं हो रहा हो इसको सरकारी राशि का अपव्यय माना जाएगा।

Rule 15.2 of HPFR-1provides/stipulates that no material should be purchased in excess of actual requirement if scuh purchase are likely to proveun profitable to Govt.Further rule 15-19 provides that the balances of store should not be held in excess of prescribed limit. The retention of store in excess of the probable requirement of the deptt. in the near future may result loss to the Govt. due to deterioration.

जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014–15 में अकादमी के स्टोर में विक्रय हेतु शेष पुस्तकें ₹1576173 के मूल्य के बराबर थी तथा **परिशिष्ट–"घ"** के अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान शेष पुस्तकों क मात्रा ₹1668489 के मूल्य के बराबर थी, जिसमें वर्ष 1994 से वर्ष 2015 तक छपवाई गई पुस्तके भी सम्मिलित है। लेखा परीक्षा को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेखों से यह भी प्रतीत होता है कि अकादमी द्वारा प्रदेश सरकार से लाखों रूपये के अनुदान की राशि प्राप्त करके उसमें से हर वर्ष बहुमूल्य पुस्तकें प्रकाशित तो करवाई जा रही है, परन्तु इन पुस्तकों की बिक्री हेतु अकादमी द्वारा कोई विशेष प्रयत्न न करने कारण इनकी बिक्री बहुत कम हुई है, जिससे इन पुस्तकों के प्रकाशन का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि स्टॉक में पड़ी पुस्तकों की बिक्री हेतु विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि पुस्तकों के प्रकाशन का प्रयोजन सफल हो सके।

9 पहाड़ी गीतों की ₹1.97 लाख की कैसटों का बिक्री हेतु स्टॉक में शेष पाया जानाः–

अकादमी द्वारा **परिशिष्ट–"ङ"** में दिए गए विवरणानुसार ₹196740 की पहाड़ी गीतों की कैसटें स्टॉक में बकाया में थी। अकादमी द्वारा वर्ष 2011–12 में केवल ₹360 के मूल्य की कैसटों की बिक्री की गई थी तथा गत तीन वर्षों में किसी भी कैसट की बिक्री नहीं हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अकादमी द्वारा इनकी बिक्री हेतु कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए है। अतः यह मामला विशेष रूप सें उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है इन कैसटों का जो स्टॉक बकाया है और अभी तक उनको बेचा नहीं गया है, उनकी संस्था द्वारा अपने स्त्तर पर आन्तरिक जाँच की जाए तथा यदि अकादमी को इससे नुकसान हुआ है तो उसका आंकलन करके इसकी भरपाई उचित स्त्रोत से की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 कम्पयूटर सैन्टर के किराये की ₹3.82 लाख का अनुचित भुगतान करनाः–

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (भारत सरकार) की राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद, नई दिल्ली द्वारा हिमाचल कला, संस्कृति, भाषा अकादमी के सहयोग से एक कम्पयूटर सैंटर, शिमला में स्थापित करने के लिए माननीय शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.1999 को बैठक आयोजित हुई थी। उक्त बैठक के प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार अकादमी द्वारा कम्पयूटर सैन्टर शिमला में आरम्भ करने के लिए दो कमरे व बैठने के लिए स्थान उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के अनुसार अकादमी से पहले किराए

पर लिए गए क्लिफ–एण्ड–एस्टेट, शिमला स्थित चौहान भवन में स्थापित संस्कृति सदन, शिमाला के आधे क्षेत्र में कम्पयूटर सैन्टर के लिए स्थान उपलब्ध करवाया गया। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार कम्पयूटर सैन्टर के किराये का भुगतान जून, 2008 से पूर्व कम्पयूटर सैन्टर द्वारा तथा उसके बाद अकादमी द्वारा किया जा रहा था, परन्तु बाद में कार्यकारी परिषद की बैठक, जोकि दिनांक 14.1.2009 को आयोजित हुई थी, की मद संख्या 13 के अनुसार यह निर्णय लिया था कि कम्पयूटर सैन्टर को "कार्प्स फण्ड" से चलाया जाए ताकि अकादमी पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े तथा आगामी वर्ष के लिए फीस बढ़ाने हेतु समीक्षा करके वित्तीय संसाधन जुटाकर कम्पयूटर सैन्टर की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। कार्य परिषद के उक्त निर्णय के उपरान्त 1/2009 से कम्पयूटर सैन्टर, जोकि संस्कृति सदन शिमला के आधे क्षेत्र चलाया जा रहा है, का आधा किराया कम्पयूटर सैन्टर द्वारा "कार्प्स फण्ड" से वहन करना अपेक्षित था, परन्तु अकादमी के अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्कृति सदन शिमला जिसके आधे क्षेत्र में कम्पयूटर सैन्टर को भी चलाया जा रहा है, के माह 1/2009 से 3/2016 के किराये की (₹764996÷2) ₹382498 का भुगतान, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"च"** पर संलग्न है, अकादमी द्वारा ही किया गया था, जोकि अनुचित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। इस बारे में अकादमी को अकेंक्षण अधियाचना संख्या 5 दिनांक 17.11.2015 द्वारा औचित्य स्पष्ट करने को कहा गया था तथा अकादमी द्वारा पत्र संख्याः क0सं0भा0–छ–17/2015–5866 दिनांक 21.11.2015 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा को उक्त अधियाचना का उत्तर प्रस्तुत किया गया था, जोकि सन्तोषजनक नहीं है। अतः अकादमी द्वारा कम्पयूटर सैन्टर के किराए का अवधि 1/2009 से 10/2015 तक जो अनुचित भुगतान किया था, उसकी ₹358683 की वसूली कम्पयूटर सैन्टर के "कार्प्स फण्ड" से की जाए तथा भविष्य में कम्पयूटर सैन्टर के किराये का भुगतान "कार्प्स फण्ड" से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 खण्ड–1 के नियम 15.17 के अनुसार प्रत्येक वर्ष में एक बार स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अकादमी द्वारा सामग्री/वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification of Store) मार्च, 2015 के उपरान्त नहीं करवाया गया था, जोकि उक्त नियमानुसार उचित नहीं है। अतः स्टोर/स्टॉक

का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष में एक बार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 सक्षम अधिकारी से बिल/वाउचरों को पारित करवाये बिना भुगतानः–

(वाउचर संख्या 481, माह 3/16, ₹56213)

दिनांक 14 मार्च, 2016 को सचिवालय, शिमला में आयोजित सामान्य परिषद की बैठक के हेतु उपरोक्त वाउचर द्वारा भुगतान किया गया। इस भुगतान से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि बिलों को सक्षम अधिकारी से पारित करवाये बिना ₹32676 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	श्री ब्रजेन्द्र त्रिपाठी सदस्य	(मानदेय साथ में आने–जाने का किराया)	2320
2	–यथा–	ग्रेटर नोएडा से नई दिल्ली तक आने जाने का किराया	180
3	–यथा–	कालका से शिमला	425
4	श्री रघुवीर सिंह सदस्य	मानदेय	1000
5	Van-Chum, 70/1 The Mall, Shimla	Phorostate	2100
6	M/S Ruldu Mal Namd lal, Chota Shimla	Sauf, Mishri & Elaichi	180
7	H.P. Sect. Canteen Shimla-2	Snaks	14938
8	M/S Fresh flowers & Nursary, The Mall, Shimla	Fresh cut flower	800
9	One Touch Store Shimla	Tea & Snaks	273
10	New light and Sound Egg Market, Shimla	flower bunch	1800
11	Hari Dass & Co. Stationers (PVT) LTd. Subzi Mandi, Shimla	Stationery articles	930
12	Hotel Rajat C.M. house, The Mall Shimla	Room Rent	3537
13	Hotel Himani"s The Mall, Shimla	Room Rent	2573

अतः बिलों को सक्षम अधिकारी से पारित करवायें बिना भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इन बिलों को सक्षम अधिकारी से अब पारित करवाया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

2 अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त वाउचर में से होटल रजत व होटल हिमानी को क्रमशः ₹3537 व ₹2573 का भुगतान साधारण कागज पर बिल तैयार कर किया

गया जोकि अनियमित था और इस सन्दर्भ में सरकार को दिये जाने वाले टैक्स को होटलों द्वारा जमा ही नहीं करवाया गया प्रतीत होता है। अतः बिना उचित बिल बिना भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में भुगतान बिल के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें।

13 वाउचर संख्या 480 माह 3/16 ₹108166

उक्त भुगतान अकादमी द्वारा दिनांक 19 और 20 मार्च, 2016 को गेयटी थिएटर शिमला के कॉन्फ्रैंस हॉल में आयोजित रंगमंच व्याख्यान एवं राज्य स्तरीय रंगकर्मी सम्मेलन के आयोजन हेतु किया गया। इस भुगतान से सम्बन्धित वाउचरों की जाँच करने पर निम्न भुगतान सक्षम अधिकारी से पारित करवाये बिना किये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

विवरण	**ब्यौरा**	**राशि**	**टिप्पणी**
होटल हिमानी रूम रैन्ट	खाद्य पदार्थ	19504	इस भुगतान में होटल हिमानी द्वारा रसीद संख्या 167 दिनांक 21.3.16 को ₹16931 की रसीद दी जिसके फलस्वरूप ₹2573 की रसीद न होने के कारण इस राशि का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इसके साथ ₹19504 का जो भुगतान किया गया यह बिल होटल द्वारा साधारण कागज पर किया गया जिसके फलस्वरूप सरकार को टैक्स के रूप में किसे जाने वाले भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट नहीं है।
होटल हिमानी (विभिन्न बिल)	नाश्ता व दोपहर का भोजन इत्यादि	₹1504	इन बिलों को सक्षम अधिकारी से पारित नहीं करवाया गया था।

14 ₹277 का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दोव के रूप में अनुचित एवं अधिक भुगतान

(क) चयनित माह के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित भुगतान अनुचित पाए गए जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को आगामी अंकेक्षण से अवगत करवाया जाए।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा में निम्न राशि देय नहीं थी।

अधिकारी का नाम	**दवाई का नाम**	**राशि**	**कैश मैमों संख्या**
Sh.Ashok Hans (Secretary)	Caladryl lotion	56	32945 दिनांक 12.2.16
	Adonia (LA) cream	165	–यथोपरि–
	Caladryl lotion	56	32967 दिनांक 16.2.16

15 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः–** लेखाओं में अधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः 1–269/74 –फिन(एल0ए0)खण्ड–19 –4949–4951 दिनांक, 10.08.2017
शिमला–171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, हि0प्र0 कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला–171001 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजे।
2. निदेशक, हि0प्र0 भाषा एवं संस्कृति शिमला–9
3. विशेष सचिव (भाषा एवं संस्कृति) हि0प्र0 सरकार शिमला–171002

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0–0177–2620881

परिशिष्ट "क"

(पैरा संख्या 1 (ग) से सन्दर्भित)

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों में की गई कार्यवाही उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति

(क)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1988

1	पैरा–7	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1994

1	पैरा–25	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1995

1	पैरा–6	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1996

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–19	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1997

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–23 (1, 2, 3, 4, 5)	अनिर्णीत
3	पैरा–28	अनिर्णीत
4	पैरा–28 (1, 4)	अनिर्णीत
5	पैरा–37 (1 से 4)	अनिर्णीत
6	पैरा–38 (2)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/1998

1	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–15	अनिर्णीत
3	पैरा–16	अनिर्णीत
4	पैरा–17	अनिर्णीत
5	पैरा–19	अनिर्णीत
6	पैरा–22	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999

1	पैरा–11	अनिर्णीत
2	पैरा–23	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2001

1	पैरा–27 (क, ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–27 (घ)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–13	अनिर्णीत
3	पैरा–16 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
4	पैरा–17	अनिर्णीत
5	पैरा–18 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा–23 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
7	पैरा–24	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा–14	अनिर्णीत
2	पैरा–15	अनिर्णीत
3	पैरा–28	अनिर्णीत
4	पैरा–30	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा–16	अनिर्णीत
2	पैरा–18	अनिर्णीत
3	पैरा–21	अनिर्णीत
4	पैरा–22	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा–11	अनिर्णीत
2	पैरा–15	अनिर्णीत

3	पैरा–16	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–14	अनिर्णीत
3	पैरा–16	अनिर्णीत
4	पैरा–19	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा–19	अनिर्णीत
2	पैरा–21	अनिर्णीत
3	पैरा–22	अनिर्णीत
4	पैरा–26	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–12	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा–9	अनिर्णीत	
2	पैरा–10	अनिर्णीत	
3	पैरा–12	निर्णीत	(₹19642 की वसूली कर्मचारी के वेतन माह जून 2015 देय जुलाई 2015 व ₹10000 तथा बकाया ₹9642 की वसूली माह 9/15 में मंहगाई भत्ते के बकाया भुगतान से कर ली गई)
4	पैरा–15	अनिर्णीत	
5	पैरा–20	अनिर्णीत	

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–6	आंशिक निर्णीत	(₹830000 में से ₹480000 का उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया तथा शेष ₹350000 में से ₹84228 का व्यय अंकेक्षण समाप्ति तक किया गया। अतः बकाया शेष ₹265772 या तो उसी उद्देश्य हेतु व्यय की जानी सुनिश्चित की जाए जिस प्रयोजन हेतु यह प्राप्त हुई थी अन्यथा इस राशि को भाषा एवं संस्कृति विभाग को वापिस लौटाया जाए तथा इन दोनों अवस्थाओं में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को यथापेक्षित प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए)
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	अनिर्णीत	
4	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	
5	पैरा–12	अनिर्णीत	
6	पैरा–16	आंशिक निर्णीत	(क्योकि प्रकाशन एवं कैसेटस के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के स्टॉक सत्यापन की पुष्टि तो अंकेक्षण से करवा ली गई है। अतः प्रकाशन एवं कैसेटस का स्टॉक सत्यापन भी करवाने के अतिरिक्त भविष्य में सभी स्टॉक वस्तुओं का स्टॉक सत्यापन नियमानुसार प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए)

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा–8(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–12	अनिर्णीत
3	पैरा–18	अनिर्णीत
4	पैरा–19	अनिर्णीत

5	पैरा–20	अनिर्णीत	

(प) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा–7	अनिर्णीत	
2	पैरा–9	अनिर्णीत	
3	पैरा–12	अनिर्णीत	
4	पैरा–14	आंशिक निर्णीत	(₹7500 की वसूली वेतन माह 7/2014 से 8/2015 तक कर ली गई और बकाया राशि की गणना करके उसकी भी वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।)
5	पैरा–17	अनिर्णीत	
6	पैरा–20 (ग)	अनिर्णीत	

(फ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा–6	अनिर्णीत	
2	पैरा–10	अनिर्णीत	

(ब) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹17000 की बैंक ड्राफ्ट संख्या 846327 दिनांक 18.11.2015 द्वारा प्रेषित करने पर)
2	पैरा–4	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई गई है)
3	पैरा–5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
4	पैरा–6	अनिर्णीत	
5	पैरा–7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
6	पैरा–8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
7	पैरा–9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
8	पैरा–10	अनिर्णीत	
9	पैरा–11	अनिर्णीत	
10	पैरा–12	अनिर्णीत	

11	पैरा–13	निर्णीत	(विभाग द्वारा दिए उत्तर के आधार पर)
12	पैरा–14	अनिर्णीत	
13	पैरा–15	अनिर्णीत	
14	पैरा–16	अनिर्णीत	
15	पैरा–17	निर्णीत	(₹653 की वसूली की सत्यापना रोकड़ बही के पृष्ठ 171 दिनांक 1.1.16 में की)
16	पैरा–18	निर्णीत	(विभाग द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर)
17	पैरा–19	निर्णीत	(विभाग द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर)
18	पैरा–20	निर्णीत	(विभाग द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर)
19	पैरा–21	निर्णीत	